प्रेस नोट 05/077/2024

<u>02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 04 लाख रुपये कीमती चोरी के सफेद/पीली धातु के जेवरात, 14 मोबाइलफोन व तमंचा व कारतूस बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री व क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 04.07.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बुढावर रेलवे क्रासिंग के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से चोरी के 14 मोबाइलफोन, जेवरात क्रमशः 02 जोड़ी पायल, 02 सिक्का, 01 जोड़ी पैजनी, 01 बालकवर, (सफेद धातु), 01 चेन, 01 झुमका, 01 मंगलसूत्र लॉकेट (पीली धातु), एक लोहे का राड, एक चाकू एवं एक अदद अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामद जेवरात थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/24 धारा 457,380 भादवि से सम्बन्धित पाये गये। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि व 3/25,4/25 आयुद्ध अधिनियम की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. शीतर बंजारा पुत्र देवराज निवासी रेलवे कॉलोनी थाना सदर जनपद पूर्निया बिहार।
2. तनवीर भोसले पुत्र पारसी निवासी रामगढ़ थाना ओरमाजी जनपद रांची झारखंड।

बरामदगी–

1. चोरी के 14 मोबाइलफोन।
2. चोरी के जेवरात क्रमशः 02 जोड़ी पायल, 02 सिक्का, 01 जोड़ी पैजनी, 01 बालकवर, (सफेद धातु), 01 चेन, 01 झुमका, 01 मंगलसूत्र लॉकेट (पीली धातु)।
3. एक लोहे का राड, एक चाकू।
4. एक अदद अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक श्री संजय सरोज, प्रभारी निरीक्षक थाना दोहरीघाट, उ0नि0 हंसराज यादव, का0 हरिकेश पाण्डेय, अमरेश सिंह, संदीप यादव, जितेन्द्र यादव, रविकिरण सिंह व संजीव सिंह थाना दोहरीघाट मऊ।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी का सामान बरामद–

आज दिनांक 05.07.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय मोढ़ अण्डर पास के पास से मु0अ0स0 284/2024 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण आदर्श कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी मुसकिया थाना घोसी जनपद मऊ, दिवाकर राजभर पुत्र भुख्खन राजभर निवासी होलीपुर थाना घोसी जनपद मऊ, अमरजीत राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी मिर्जाजमालपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से उक्त अभियोग से सम्बन्धित चोरी की 04 अदद बैट्री (ट्रैक्टर की) बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी कर चालान न्यायालय किया गया।

01 वांछित सहित 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.07.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर खलीलपुर पुलिया काझा के पास से मु0अ0सं0 110/24 धारा 64,351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अमल प्रताप सिंह पुत्र मनीष सिंह निवासी

बद्धोपुर थाना विरनो जनपद गाजीपुर तथा थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण श्यामदेव यादव पुत्र रामसकल यादव व कैलाश यादव पुत्र शिवधर यादव निवासीगण शेखअहमदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

यातायात जागरुकता अभियान के क्रम में 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत **पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2024 को यातायात प्रभारी के नेतृत्व में जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें लिटिल फ्लावर स्कूल सिकटिया के नाबालिग छात्र/छात्राओं को वाहन न चलाने के बारे जागरुक किया गया** तथा यातायात/सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गयी। साथ ही साथ चेकिंग के दौरान नाबालिग द्वारा वाहन चलाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी तथा उनके अभिभावकों से जरिये मोबाइल वार्ता कर हिदायत दी गयी एवं स्कूली वैन/बसों की फिटनेस/परमिट इत्यादि के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 04 दोषसिद्ध अभियुक्त 03–03 कारावास व ₹2,000–2000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 05–07–2024 को मु0अ0सं0 15/09 धारा 34,323,504,506 भादवि व एसी/एसटी एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण वीरबहादुर यादव पुत्र राजबली यादव, रामनाथ यादव पुत्र घमंडी यादव, देवनाथ यादव पुत्र घमंडी यादव व रामसिंगार यादव पुत्र वीर बहादुर यादव निवासीगण बिघरा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03–03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹2,000–2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री सत्येंद्र कुमार राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी सिताबू शाह थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।